

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)
मिसल नं. :: 98/2017
सरकार बनाम रणसिंह, विनोद, कुलदीप पि. मंगलाराम,
जाति- मेघवाल, निवासी- लाडून्दा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 06.09.2017


निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान रणसिंह, विनोद, कुलदीप पि. मंगलाराम, जाति-मेघवाल, निवासी- लाडून्दा द्वारा रोही मौजा लाडून्दा की राजकीय भूमि ख.नं. 398 के कुल रकबा 1.17 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.03 है० भूमि पर फसल कपास काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किया गया कि ग्राम लाडून्दा में भूमि ख.नं. 398 रकबा 1.17 हैक्टर गै.मु. रास्ता दूदी से लोहारु जाने वाला है, जो 40 वर्ष से पूरी तरह से बन्द है। उन्होंने 0.03 है० बुवाई कर किया गया अतिक्रमण हटा लिया है। गैर सायलान का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रु. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 13 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 6/- कायम किए
राजस्व लेखाकार


(बनवारी लाल)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़